26 जनवरी 2023गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूल शिक्षा विभाग की चलित झांकी का निर्माण अल्पकालिन निविदा के नियम एवं शर्ते

01 गणतंत्र दिवस समारोह **(26 जनवरी) 2023** में प्रदर्शित होने वाली झॉकी का निर्माण मुख्य **विषय – अद्भूत मध्यप्रदेश** के अनुरुप होना चाहिए।

02 झॉकी का निर्माण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अनुमोदित डिजाईन एवं मॉडल के आधार पर किया जाना होगा।

03 झॉकी का निर्माण कार्य हेतु निविदाकर्ता से संलग्न निधारिंत प्रपत्र पर निविदा के साथ राशि रु **50000/–(रु पचास हजार मात्र)** का बैकर्स चैक अथवा ड्राफ्ट संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग के नाम से प्रस्तुत करना होगा। राशि रू.500/– के स्टाम्प पर सहमति पत्र प्रदाय करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति राशि के बिना प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। चयनित निविदाकार को छोड़कर शेष निविदाकर्ताओं की प्रतिभूति राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जावेगी।

04 झॉकी का निर्माण संस्कृति विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार होनी चाहिए ।

05 निविदा फार्म जिस फर्म द्वारा कय किया गया है। वही संस्था/फर्म निविदा के माध्यम से दरे प्रस्तुत कर सकेगी। यह निविदा पत्र अहस्तांतरणीय है।

06 गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2023 को लाल परेड ग्राउड में स्कूल शिक्षा विभाग की झॉकी प्रदर्शित होनी है। झॉकी का निर्माण संस्कृति संचालनालय द्वारा निर्धारित स्थल पर तैयार करनी होगी। जिसकी जानकारी निविदाकर्ता फर्म को स्वंय ज्ञात करनी होगी।

07 झॉकी निर्माण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर इस कार्यालय द्वारा भुगतान नही किया जावेगा।इसके अतिरिक्त अमानत राशि भी राजसात कर ली जावेगी।कार्यालय द्वारा झॉकी निर्माण हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम प्रदाय नही किया जावेंगा।

08 झॉकी निर्माण के संबंध में कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रगति के संबंध में अवगत कराना होगा।झॉकी का निर्माण कार्य डिजाईन अनुरुप/समयानुसार किया जा रहा है इसका निरीक्षण अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जायेगा। निरीक्षण के समय निर्माता की उपस्थिति आवश्यक है।

09 झॉकीयो में एकरुपता बनाये रखने के लिए झॉकी का निर्माण ट्रेक्टर/ट्राली/ट्राला पर करना अनिवार्य होगा।जिसके लिए ट्रेक्टर/ट्राली/ट्राला की व्यवस्था निर्माणकर्ता स्वंय को करनी होगी।झॉकी का निर्माण इस प्रकार करना होगा कि ट्रेक्टर/ट्राली/ट्राला दिखायी न पडे।

10 झॉकी निर्माण का कार्य में प्रयुक्त समस्त सामग्री पर विभाग चाहेगा तो, निर्जीव मॉडल और कट आउट जैसी सामग्री प्राप्त करने का विभाग को अधिकार होगा।विभागों /संस्थाओं को सहयोग के लिए संस्कृति विभाग द्वारा एक कैम्प कार्यालय स्थापित किया जाएगा।जहॉ से

समय समय पर झॉकी निर्माण समिति के निर्देश प्रसारित किये जावेगें। फर्म को निर्देशानुसार पालन करना आवश्यक होगा।

11 झॉकी निर्माण का कार्य **दिनांक 24.1.2023 को सायः 5:00 बजे तक अनिवार्यतःपूर्ण करना होगा।**

12 झॉकी निर्माण समिति द्वारा झॉकीयों की समीक्षा की जायेगी । डिजायन/मॉडल के अनुरुप झॉकी का निर्माण न होने अथवा निर्धारित समय पर कार्य अधूरा रहने अथवा अपेक्षा के अनुरुप झॉकी का निर्माण समय पर न होने पर समिति द्वारा झॉकी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जावेगी।साथ ही धरोहर राशि राजसात कर संस्था को काली सूचीबद्व किया जाएगा।

13 झॉकी प्रदर्शन की पूर्व संध्या पर विभाग/संस्था की झॉकी को दिये गये कमानुसार लाईन अप कराना झॉकी निर्माणकर्ता का दायित्व होगा। आवश्यक है कि ट्रेक्टर चालक/परिचालक की प्रदर्शनी स्थल पर सदैव उपस्थिति सुनिश्चित रखी जावे।

14 झॉकी निर्माण स्थल पर पीने का पानी ,शौचालय,चिकित्सा सुविधा/सुरक्षा की यथोचित व्यवस्था की जाती है परन्तु शेड ,चौकीदार की व्यवस्था संबंधित निर्माणकर्ता संस्था को ही करना होगी।

15 **झांकी निर्माण हेतु संबंधित निर्माता का दायित्व होगा कि झांकी की फोटोग्राफ (चारो दिशाओं से) एवं वीडियोग्राफी डी.व्ही.डी. में देयक के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें, तभी राशि का भुगतान किया जाएगा।**

16 उपरोक्त किसी भी नियम या शर्तो के उल्लंघन की दशा में धरोहर राशि को राजसात कर संबंधित संस्था को काली सूचीबद्व किया जाएगा ।

17 निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल का निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होगा।

18 **विगत 05 वर्ष का निविदाकर्ता को शासकीय विभाग में राज्यस्तरीय झॉकी निर्माण का अनुभव होना आवश्यक होगा । अनुभव प्रमाणपत्रों को की छायाप्रति/पेन कार्ड/जी.एस.टी. कमांक तथा संस्था का पंजीयन कमांक की प्रमाणित छाया प्रति अनिवार्यतः संलग्न करानी होगी। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में निविदा पर विचार नही किया जावेगा।स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।**

19 निविदादाता/निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा बिना कोई कारण स्वीकृत या अस्वीकृत करने तथा संतोषजनक एवं अच्छी सेवा उपलब्ध न होने की स्थिति तथा किसी भी विवाद की स्थिति में निविदा निरस्त करने के पूर्ण अधिकार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल को होगे। किसी भी प्रकार के कानूनी कार्य के लिए क्षेत्राधिकार भोपाल स्थित न्यायालय होगा। जो कि निविदाकर्ता को मान्य होगा।

20 चलित झॉकी में पर्याप्त सुरक्षा के साधनों की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा। संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2023 में झॉकी निमाण से संबंधित समस्त निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा।

21 सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।

22 स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित एवं संस्कृति विभाग द्वारा अनुमोदित थीम का अवलोकन कार्यालय मे उपस्थित होकर करना होगा। थीम अनुसार ही चलित झॉकी तैयार करनी होगी।

23 निविदाकर्त्ता द्वारा निर्मित झॅाकियों को पूर्व के किन्ही 05 वर्षो में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवास समारोह 26 जनवरी की झॅाकी निर्माण एवं प्रदर्शन के लिए पुरुस्कार (प्रथम / द्वितीय / तृतीय)प्राप्त हुए हों,उन्हें वरीयता दी जायेगी।फर्म को उन्हें प्राप्त पुरुस्कार के प्रमाण पत्रों की फोटोकापीयॉ निविदा फार्म के साथ संलग्न करनी होगी।**शासकीय विभागों की राज्यस्तरीय झांकियों के निर्माण पर अधिकतम पुरुस्कार प्राप्त करने वाली संस्था / फर्म को प्राथमिकता दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।**

24 संस्था / फर्म का टर्नओवर गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कम से कम रु 10.00लाख(रु दस लाख) होना अनिवार्य है।सी.ए. का प्रमाण पत्र ,वित्तीय वर्ष 2020–21 की आयकर विवरणी की प्रति ,जी.एस.टी.रिटर्न की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंतिम लेखो की प्रति प्रस्तुत करना होगी। अनिवार्यतः संलग्न किया जावे।

25 कार्यालय द्वारा पृथक से जी.एस.टी का भुगतान नही किया जावेगा। झॉकी निर्माण हेतु चयनित फर्म के झॉकी निर्माण एवं प्रस्तुति के उपरांत कार्यालय को प्रस्तुत देयक में से शासन नियमानुसार टी.डी.एस एवं जी.एस.टी –टी.डी.एस का कटोत्रा किया जावेगा।

26 निविदाए प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16.1.2023 दोपहर 12.00 तक। प्राप्त निविदा दिनांक 16.1.2023 को दोपहर 3:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल